भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 944699

## न्यास विलेख (Instrument of Trust)

## "SHRI RAJDEV SINGH INTERNATIONAL TRUST"

यह न्यास विलेख श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजदेव सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट– लेवरुवा, तहसील केराकत जिला जौनपुर (मुख्य ट्रस्टी) द्वारा दिनांक 19.02.2016 का लिखा गया।

1.<u>न्यास का नाम</u> –यह कि सभी ट्रस्टियों ने अपनी संस्था का नाम **" SHRI RAJDEV SINGH INTERNATIONAL TRUST"** रखा है। भविष्य में इस ट्रस्ट को ट्रस्ट्रियों की आपसी सहमति से किसी अन्य संस्था में भी बदल सकते हैं।

2. <u>न्यास का स्थायी पता</u> – वर्तमान में इस ट्रस्ट का स्थायी पता बजरंग नगर डोभी जौनपुर–222148 है। उक्त न्यास के कार्य को सुचारु रुप से संपादित करने के उद्येष्य से अन्य कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है।

3. <u>न्यास का प्रस्तावना</u> – मुख्य ट्रस्टी के पिता स्व0 श्री राजदेव सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, स्वतन्त्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले अपने छात्रों के साथ स्नेहिल संबन्ध रखने के लिए क्षेत्र में चर्चित थे। उनकी इच्छा थी कि अपने क्षेत्र के युवा अनुशासित हों व आगे जाकर विश्व का नेततृत्व करें। उन्हीं के आदर्शों एवं इच्छा तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं।

शीलेन्द्र कुमार सिंह

1216

[illegible] 19.2.2016

[illegible] ट्रस्ट हेतु

शैलेन्द्र कुमार सिंह S/O स्व० राजदेव सिंह

[illegible] बिसुनदुरा लोधरसा [illegible] जौनपुर

5000

[illegible]

( [illegible] )

[illegible]

[illegible] पूरा [illegible]

[illegible] ( जौनपुर )

उप कोषागार [illegible]
05 FEB 2016
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 944710



इस ट्रस्ट के उद्देश्यों और शर्तों को एक संविधान के अर्न्तगत घोषित करने के आवश्यकता है। अतः ट्रस्ट को संचालित करने के लिए नियमावली निम्नवत हैं:-

1.यह कि अपने इस ट्रस्ट को आरम्भ करने के लिए मुख्य ट्रस्टी /संस्थापक ने अंकन 51000/– (रुपये एक्यावन हजार) की सुरक्षित धनराशि फण्ड में जमा कर दी है।

2. यह कि इस ट्रस्ट के फण्ड में जिसमें सभी प्रकार की नगद जमा पूँजी व किसी भी प्रकार की संम्पत्ति व किसी प्रकार का निवेष या इनमें से कोई भी वस्तु आपस में परिवर्तित हो जायें, जो समय–समय पर निवेश के लिए हो अथवा जिसको ट्रस्टी ने प्राप्त किया है अथवा वह धन किसी भी संविधान के तहत उनको प्राप्त होता है जिनका सम्बन्ध उपरोक्त बातों से हैं, एवं वह मुख्य ट्रस्टी व्दारा ट्रस्ट हे हित के लिए समय–समय पर आगामी योजनाओं की घोषणा आदि में शामिल है।

4. <u>न्यास के पदाधिकारीगण :–</u> यह कि हम मुकिर न्यास के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास के न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या कम से कम 5 एवं अधिकतम 11 होगी (मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी सहित)। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रुप में नामित न्यास/ ट्रस्ट के व्यक्तियों के नाम पद एवं विवरण निम्नलिखित है–

354 19.2.2016
स्टाम्प की नगद राशि 500/-
रा०क०. 353

तहसील केराकत, जौनपुर

05 FEB 2016
उप निबन्धक केराकत - जौनपुर

यास पत्र

| 51,000.00 | 1020 ~~100.00~~ | 100 | 200.00 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| न्यास की राशि | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | पृष्ठों की संख्या |

श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह
पुत्र श्री स्व0 राजदेव सिंह
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर (आधार )
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/2/2016 समय 1:20PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
23/2/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

**श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह**
**पुत्र श्री स्व0 राजदेव सिंह**
**पेशा कृषि**
**निवासी विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर**
**(आधार )**

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान **वीरेन्द्र कुमार सिंह**
**स्व0 हवलदार सिंह**
पेशा **कृषि**
निवासी **विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर (आधार )**
व **विवेक कुमार सिंह**
**राजेन्द्र बहादुर सिंह**
पेशा **वकालत**
निवासी **सरायबीरू के राकत जौनपुर (डी0 एल0 )**
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
23/2/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 944700



| क्र. | नाम | पता | उम्र | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शीलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजदेव सिंह | ग्राम–विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट लेवरूआ, डोभी, जौनपुर | 60 | मुख्य ट्रस्टी / संस्थापक / अध्यक्ष |
| 2. | पुष्पलता सिंह पत्नी शीलेन्द्र कुमार सिंह | ग्राम–विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट लेवरूआ, डोभी, जौनपुर | 58 | सदस्य / ट्रस्टी |
| 3. | अनुपम कुमार सिंह पुत्र शीलेन्द्र कुमार सिंह | ग्राम–विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट लेवरूआ, डोभी, जौनपुर | 39 | सेटलर ट्रस्टी / प्रबन्धक / डायरेक्टर |
| 4. | आलोक रंजन सिंह पुत्र शीलेन्द्र कुमार सिंह | ग्राम–विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट लेवरूआ, डोभी, जौनपुर | 37 | सदस्य / ट्रस्टी |
| 5. | प्रतिमा सिंह पत्नी अनुपम कुमार सिंह | ग्राम–विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट लेवरूआ, डोभी, जौनपुर | 37 | सदस्य / ट्रस्टी |
| 6. | शिप्रा सिंह पत्नी आलोक रंजन सिंह | ग्राम–विशुनपुर लेवरूआ, पोस्ट लेवरूआ, डोभी, जौनपुर | 35 | सदस्य / ट्रस्टी |

5. <u>न्यास के उद्देश्य :–</u>

1. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट पारमार्थिक एवं जन कल्याण के उद्देश्य से सम्पूर्ण विश्व के किसी भी स्थान पर नागरिकों के लिए शिक्षा संस्थान जैसे–तकनीकी महाविद्यालय अन्य किसी भी प्रकार की तकनीकी संस्था, आई0 टी0 आई0, पालीटेक्निक, डेन्टल, कालेज अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम से यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के कालेज महिला

शीलेन्द्र कुमार सिंह

1211

18-2-2016

1210

न्यासी

Registration No.: 6 Year: 2,016 Book No.: 4

0101 शीलेन्द्र कुमार सिंह

स्व0 राजदेव सिंह

विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर (आधार )

कृषि

05 FEB 2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रू. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार श्रीवास्तव लेखाकार/उप कोषाधिकारी केराकत, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 944579



महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, मैनेजमेन्ट संस्थाएं, कम्प्यूटर संस्थाएं, क्लिनिक, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, हेल्थ रिसार्ट, छात्रावास और आवास, धर्मशाला, कानून महाविद्यालय, बी0ए0 / बी0टी0सी0, बी0एड0, शादी–विवाह हेतु शादी घर, सुलभ शौचालय, योगा प्रशिक्षण केन्द्र एवं किसी भी प्रकार का चैरिटेबल संस्था / संगठन किसी भी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा एवं बच्चों के सुख एवं उन्नति हेतु संस्थाओं का निर्माण एवं संचालन करना अथवा नगद धन से सहायता करना है तथा छात्रवृत्ति देना, मुफ्त एजुकेशन देना, हास्टल आदि की स्थापना करना आदि है।

2. यह कि ट्रस्ट द्वारा बुजुर्ग तथा अनाथ व्यक्तियों के लिए शैल्टर हाउस की स्थापना करके उनका संचालन करना, उनकी हर प्रकार से सहायता करना, अथवा निर्धन, असहाय (जरुरतमन्द), अपंग व्यक्तियों, अनाथों, विधवाओं और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मेडिकल सहायता, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था व अन्य सहायता करना है।

3. यह कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना खाद्य पदार्थों से संबन्धित सभी विषयों पर समाज को जागरुक करने के उद्देष्य से गोष्ठी आदि कार्यक्रम करना।

4. यह कि देश में पर्यावरण एवं वातावरण के सन्दर्भ में जागृति कर कार्यक्रम बनाना एवं क्रियान्वयन करना।

5. यह कि देश में नशा उन्मूलन, चरित्र निर्माण, सामाजिक, राष्ट्रीय उन्नयन के लिए सभी तरह के कार्यक्रम करना।

शैलेन्द्र कुमार सिंह

2259

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2016

500

गवाह

02 FEB 2016

Registration No.: 6 Year : 2016 Book No. : 4

W1 वीरेन्द्र कुमार सिंह

स्व0 हवलदार सिंह

विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर (आधार )

कृषि

W2 विवेक कुमार सिंह

राजेन्द्र बहादुर सिंह

सरायबीरू के राकत जौनपुर (डी0 एल0 )

वकालत

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 944586



6. यह कि पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम बनाकर कार्यक्रम को सम्पन्न करना भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना जागृत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।

7. यह कि देश में विभिन्न धर्म एवं समाज–कल्याण को बढ़ावा देने के उद्दश्य से कार्य करना।

8. उपरोक्त संरचनात्मक कार्यों के सम्पादन हेतु जमीन खरीदना / प्राप्त करना एवं समस्त संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक पदों का सृजन करना और सृजित पदों पर नियुक्त करना या आवश्यकता के अनुरुप अन्य पद सृजित कर दक्ष, नैतिक रुप से चरित्रवान लोगों को कार्य पर लगाना।

9. ज्ञात स्रोतों से पुस्तकों को खरीदना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यक साधन, सामग्री एवं जीवन रक्षक दवाईयों को खरीदना एवं वितरण करना।

10. ट्रस्ट द्वारा समय–समय पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शहीदों जैसे– चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, सुबाषचन्द्र बोस इत्यादि एवं भारत के कई महान विभूतियाँ जैसे– स्वामी विवेकानन्द, राजाराम मोहन राय , सरदार बल्लभाई पटेल इत्यादि के नाम पर विभिन्न कार्यक्रम करना एवं उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना।

11. विद्यार्थियों एवं संस्था से सम्बन्धित लोगों के रहने एवं भोजन हेतु भवन, छात्रावास (आवासीय सुविधाओं सहित) का निर्माण करना।

शैलेन्द्र कुमार सिंह

2260

19-2-2016

यास-पत्र

2 म स 2258

500

| 51,000.00 | 1,020.00 | 100 | 1,120.00 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| न्यास की राशि | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | पृष्ठों की संख्या |

उप निबन्धक केराकत - जौनपुर 02 FEB 2016

श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह

पुत्र श्री स्व0 राजदेव सिंह

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर (आधार )

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/2/2016 समय 1:30PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी

उपनिबन्धक केराकत

जौनपुर

23/2/2016

राकेश प्रताप सिंह

नि० लि०

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

**श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह**

**पुत्र श्री स्व0 राजदेव सिंह**

**पेशा कृषि**

**निवासी विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर**

**(आधार )**

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान **वीरेन्द्र कुमार सिंह**

**स्व0 हवलदार सिंह**

पेशा **कृषि**

निवासी **विशुनपुर लेवरूआ केराकत जौनपुर (आधार )**

व **विवेक कुमार सिंह**

**राजेन्द्र बहादुर सिंह**

पेशा **वकालत**

निवासी **सरायबीरू के राकत जौनपुर (डी0 एल0 )**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी

उपनिबन्धक केराकत

जौनपुर

23/2/2016

राकेश प्रताप सिंह

नि० लि०

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 944585



12. उपरोक्त उद्येश्य के बढ़ने पर सम्पत्ति खरीदने हेतु ट्रस्टीज के परिषद द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार सरकारी/अर्द्धसरकारी या निजी स्रोतों से वित्त हेतु आवेदन करना एवं अनुदान/दान प्राप्त करना।

13. इस डीड के अर्न्तगत जिस संस्था का निर्माण होना है या जिस भी संस्था का निर्माण हो चुका है उसमें निमित्त ट्यूशन फीस लगाना या संस्थाओं से प्राप्त आय से ही संस्थाओं के रख- रखाव/निर्वहन में लगने वाले खर्चों को व्यय करना।

14. ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए दान, अनुदान, उपहार दवाईयों, किताबें, यन्त्र एवं साधन- सामग्री, नगद या किसी भी रुप में प्राप्त करना।

15. ट्रस्ट की सम्पत्ति और ट्रस्ट के उद्येश्य के निर्वहन हेतु यान्त्रिक प्रबन्धन की व्यवस्था एवं चिन्तन करना।

16. अन्य जनोपयोगी ट्रस्टों या संस्थाओं को सहायता स्वीकृति प्रदान करना।

17. ट्रस्ट द्वारा उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

18. लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छुत, ऊँच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण /जागरुकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

19. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटियों का उत्पादन (मेडिसनल

क्रमांक 2261

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2016

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

क्रेता का नाम 2258

500

02 FEB 2016

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार श्रीवास्तव
लेखाकार/उप कोषाधिकारी
केराकत, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 944584



प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों को रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त हो रहे पौधों की खेती करना।

20. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे–अन्धविश्वास, बाल–विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, जाति–पाति एवं छुआ–छुत की भवना एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरुकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

21. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा, जिम्नास्टिक, जूड़ो–कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

22. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, जागरुकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

23. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी–झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरुक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

24. सरकार की सहायता से गॉवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पीच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 2262

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2016

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

द्वारा क्रेता 2102 2258

500

उप कोषागार केराकत - जौनपुर 02 FEB 2016

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार श्रीवास्तव
लेखाकार/उप राजकोषिय
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 944583



गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

25. प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गॉव व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहिचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं रणनीति के लिए सहयोग / जागरुकता / प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों / संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल हैं।

26. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना / गोवंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकने तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

27. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क / ट्रेन / बस / दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय , वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचानें के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेंसी एम्बुलेंस / ब्लड बैंक की व्यवस्था करना।

2263

क्रमांक

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2016

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

... पता श्री ~~92~~ 2258

500

02 FEB 2016

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 944582

नीरज कुमार श्रीवास्तव लेखाकार/उप कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट, जौनपुर



28. यह कि जनकल्याण एवं समाज के उद्येश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त करना एवं संस्था के लिए अन्य आय–वृद्धि, कार्यकमों के संचालन के लिए प्रयास करना।
29. अन्य संस्थाओं को फ्रेन्चायइजी देना और लेना।

## 6. मुख्य ट्रस्टी/सेटलर ट्रस्टी एवं ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

**(ए)** यह कि उपरोक्त ट्रस्ट की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य ट्रस्टी और सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) की होगी एवं भविष्य में ट्रस्ट के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध–समिति के अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी तथा प्रबन्धक सेटलर ट्रस्टी होंगे। शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध–समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष व प्रबन्धक करेंगे। मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) की सहमति व आदेश के अनुसार ही सभी कार्य होंगे जो सभी ट्रस्टी (ट्रस्ट के सदस्यों) को मान्य होंगे, इसमें किसी भी अन्य ट्रस्टी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**(बी.)** यह कि ट्रस्ट की आय के लिए मुख्य ट्रस्टी, आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं तथा नियमों के तहत जिससे भी चाहे, जिस प्रकार चाहे फण्ड या दान या सहयोग ले सकता है, या किसी भी प्रकार का फण्ड निर्धारित करके किसी भी नये व्यक्ति को ट्रस्टी के रुप में नियुक्त कर सकता है इसमें अन्य ट्रस्टीयों/ट्रस्ट के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।

**(सी.)** यह कि ट्रस्टीज समय–समय पर प्राप्त रकम में से इस ट्रस्ट का कार्य सुचारु रुप से चलायेंगे। इस ट्रस्ट के धन का प्रयोग केवल ट्रस्ट के कार्यों के लिए आयकर अधिनियम

शैलेन्द्र कुमार सिंह

2264

19-2-2016

2258

500

02 FEB 2016

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 944581



1961 की धाराओं तथा नियम के तहत होगा, इसके अलावा किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं किया जायेगा। ट्रस्ट के धन को इस प्रकार रखा जायेगा कि कुछ फण्ड से प्राप्त शुद्ध आय में से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय किया जा सके, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो मूल रकम में से भी व्यय किया जायेगा।

**(डी.)** यह कि इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी उक्त संस्था के खाते की धनराशि एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) के आदेशानुसार उचित रुप से संचालित करते रहेंगे और उक्त ट्रस्ट की धनराशि को ट्रस्ट के फण्ड में रखा जायेगा।

**(ई.)** ट्रस्ट के ट्रस्टी का कर्तव्य होगा कि वे ट्रस्ट के अधिकतम लाभार्थ कार्य करें तथा ट्रस्ट को सतत कायम रखने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहें।

**(एफ.)** मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर को अपनी उक्त संस्था चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति से दान, योगदान और किसी भी प्रकार की सहायता शर्त अथवा बिना शर्त के स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मुख्य ट्रस्टी के अलावा अन्य किसी ट्रस्टी को सेटलर (व्यवस्थापक) के लिखित पत्र के बिना कोई शर्त व योगदान मान्य व स्वीकार नहीं होंगा ।

**(जी.)** उक्त ट्रस्टी अपने ट्रस्ट की आय को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट के के हित में उचित कार्य करेंगे , लेकिन उसमें मुख्य ट्रस्टी व सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) की सहमति आवश्यक है।

**(एच.)** समयानुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति अथवा किसी प्रकार के निवेश के सम्बन्ध में कार्य करना केवल मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी का अधिकार होगा।

2258

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2016

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व० राजदेव सिंह ग्राम [illegible]
केराकत जौनपुर

500

[illegible]

02 FEB 2016

केराकत · जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 435843



(आई.) मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) में से कोई एक इस ट्रस्ट की कोष धनराशि को संस्था के कार्य के लिए सिक्योरिटी आदि के रुप में निवेश अथवा खर्च कर सकता है ट्रस्ट की सम्पत्ति को किसी भी बैंक अथवा विभाग आदि में वहन कर सकते हैं और उसके ब्याज व उसकी अदायगी को ट्रस्ट फण्ड से अदा करेंगे।

(जे.) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) में से कोई भी एक ट्रस्टी अपने ट्रस्ट फण्ड में बृद्धि करने के लिए किसी भी सम्पत्ति को अपने-अपने हस्ताक्षरों के द्वारा खरीद सकते हैं किन्तु ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति सेटलर व मुख्य ट्रस्टी मिलकर संयुक्त हस्ताक्षर से ही बेच सकते हैं इसमें ट्रस्ट के किसी भी सदस्य या ट्रस्टी को कोई आपत्ति या ऐतराज करने का अधिकार नही होगा।

(के.) ट्रस्ट के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति को अपनी शर्तों के अनुसार किराये पर दे सकती है तथा किराया वसूल कर सकते हैं इसमें किसी ट्रस्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(एल.) ट्रस्टी ट्रस्ट सम्पत्तियों का समुचित लेखा जोखा रखेगें तथा ट्रस्ट सम्पत्तियों का गर्वनमेन्ट शिड्यूल बैंक या अन्य निर्णय अनुसार विनियोजन करना, जमा करना, व निकालना आवश्यक होने पर लोन लेना, वापस करना, ब्याज देना व ट्रस्ट के उंद्देश्यों पर खर्च करने हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) उक्त ट्रस्ट के नाम से किसी भी बैंक में संयुक्त/एकल खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन अपने-अपने हस्ताक्षरों द्वारा कर सकते हैं तथा अपनी सुविधानुसार किसी भी व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकते

क्रमांक 2265

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2011

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

... पूरा पता 2111 2258

50

... पुत्र ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 435842



हैं और उस सम्पूर्ण खाते के देख–रेख का भार व खाते को मेन्टेन करने का अधिकार दे सकते हैं।

(एम.) मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) अपने ट्रस्ट के लिए सभी मामलों को एडजस्ट (समायोजन) कर सकता है किसी भी प्रकार की स्थापना समझौता कर सकता है किसी को अपने साथ मिला सकता है एवं सभी प्रकार के न्यायायिक मामलों आदि का निस्तारण आदि कर सकता है तथा किसी भी वाद–विवाद या अन्य कार्य के बाबत वकील/एडवोकेट नियुक्त कर सकता है।

(एन.) ट्रस्ट के विकास एवं संचालन व ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय–विक्रय हेतु मुख्य ट्रस्टी अपनी ओर से किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को अपने अधिकार (मुखतारनामा आम या खास द्वारा) दे सकते हैं जिसके आधार पर उक्त व्यक्ति को हर प्रकार की कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ओ.) मुख्य ट्रस्टी जनता के लाभ के लिए किसी भी संस्थान/ ट्रस्ट जो धन के अभाव के कारण चल नहीं सकती है उसको अपने ट्रस्ट में शामिल अथवा अपनी ट्रस्ट की कोई नई शाखा इन्हीं उद्देश्यों के लिए कर सकता है।

(पी.) ट्रस्टी अपनी संस्था के फण्ड की धनराषि के केवल संस्था के कार्य के उद्देश्यों में व्यय करेंगे इसके अलावा वह किसी अन्य निजी हितों में व्यय नहीं करेंगे।

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 9266

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2018

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

नाम व पूरा पता 2110 9258

50

स्टाम्प विक्रेता

नाम व पूरा पता

कचहरी परिसर, [illegible] (जौनपुर)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 241219



**(क्यू.)** मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि उक्त ट्रस्ट के संचालन हेतु किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखने, उसकी सेलरी (तनख्वाह) ट्रस्ट कोष से अदा करने, सेलरी निर्धारित करने, उसे नौकरी से निकालने या रखने, इसमें किसी भी ट्रस्टी या ट्रस्ट के सदस्य का हस्तक्षेप मान्य व स्वीकार नहीं होगा।

**(आर.)** मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट फण्ड से किसी ऐसे समर्पित शैक्षिक संस्था, सोसाइटी, आर्गेनाइजशन एवं ट्रस्ट को दान देने का अधिकार होगा जो शिक्षा (एजुकेशन) से सम्बन्धित हो।

**(एस.)** मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) का अधिकार होगा कि वह किसी भी प्राइवेट भूमि या सरकारी भूमि को अपने हस्ताक्षरों से ट्रस्ट के नाम लीज डीड पंजीकृत करायें, किराया निर्धारित करे और उक्त भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण करे और उक्त भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण करे किसी भी प्राधिकरण या संस्थान से नक्शा पास कराये, किसी भी निकाय/नगर निगम/प्राधिकरण आदि में कोई भी शुल्क जमा करें।

**(टी.)** मुख्य ट्रस्टी तथा सेटलर ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी/गैर सरकारी विभाग/संस्था, अर्बन, लोकल, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला कमेटी, कार्पोरेशन कम्पनीज, व्यक्ति विशेष से सहायता हेतु आवेदन करे या सहायता प्राप्त करें।

**(यू.)** मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह स्वस्थ मानसिक दशा में उक्त ट्रस्ट के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त ट्रस्ट को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था/सोसाइटी किसी अन्य ट्रस्ट/संस्था कार्पोरशन इन्स्टीट्यूट को सेटलर ट्रस्टी की सहमति से सौंप (हैन्ड ओवर) सकता है।

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 2270

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2010

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

श्री [illegible] कुमार सिंह पुत्र स्व० राजदेव सिंह ग्राम [illegible]

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 241220



7. न्यास/ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था–

1. यह कि मुख्य ट्रस्टी उपरोक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी/न्यासी एवं ट्रस्ट के सदस्यों (सेटलर ट्रस्टी को छोड़ कर) और कर्मचारियों को जब भी चाहे ट्रस्ट के हितों को ध्यान में रखते हुए हटा सकते हैं और इनके स्थान पर अन्य कोई भी नया सदस्य बना सकते हैं तथा मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी नये ट्रस्टी सदस्य (जितने भी मुख्य ट्रस्टी चाहे) मेम्बरशिप निर्धारित कर अपने ट्रस्टी पत्र पर लिखकर मेम्बरशिप (सदस्यता) दे सकता है और जब भी मुख्य ट्रस्टी चाहे सदस्यता समाप्त कर सकता है। इस बाबत ट्रस्ट के किसी भी सदस्यों (नये व पुराने) को कोई ऐतराज या दावा–विवाद मान्य व स्वीकार नहीं होगा तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा।

2. मुख्य ट्रस्टी /सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) दोनों को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट को चलाये व अपने जीते जी बच्चों या जिसे भी चाहे अपना–अपना उत्तराधिकारियों का समूह नियुक्त करे। यह भी न्यासी/ ट्रस्टी व ट्रस्ट के सदस्यों को मान्य व स्वीकार होगी।

3. यह कि यदि किसी कारणवश मुख्य ट्रस्टी/ सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) नहीं रहते हैं (मृत्यु हो जाती है या मेडिकल रुप से अनफिट हो जाते हैं) तो ऐसी दशा में वंशानुगत पुरुष (मेल) ही मुख्य ट्रस्टी/सेटलर ट्रस्टी होंगे और यदि मुख्य ट्रस्टी/ सेटलर ट्रस्टी के बच्चे नाबालिक हैं तो ऐसी दशा में एक दूसरे के समस्त अधिकार एक दूसरे को स्वतः मिल जायेगा, और उनका निर्वाह वह तब तक करेगा जब तक मुख्य

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 2221

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2010

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

[illegible] 2220

10

[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 241221



ट्रस्टी /सेटलर ट्रस्टी के बच्चों में से जिसे भी (चाहे एक व चाहे सभी बच्चों को) वह इस ट्रस्ट के योग्य समझते हुए शामिल कर सकता है।

4. यह कि मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी केवल उसी धनराशि के लिए जिम्मेदार होगा जो उसने अपने–अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त की है व खर्च की है, अन्य किसी भी ट्रस्टी/ट्रस्ट सदस्य के द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि व खर्च की गयी धनराशि की जिम्मेदारी मुख्य ट्रस्टी/सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) की नहीं होगी।

5. यह कि प्रत्येक ट्रस्ट के सदस्य को अधिकार होगा कि वह एक माह का लिखित नोटिस देकर उक्त ट्रस्ट को छोड़ सकता है।

6. यह कि ट्रस्ट के किसी बिन्दु/विवाद पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7. ट्रस्ट के लक्ष्य एवं उद्देष्यों के प्राप्ति हेतु ट्रस्ट के नियम/बाईलाज में कोई संशोधन करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी, सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) एवं ट्रस्टियों में निहित रहेगा कोई भी संशोधर 2/3 सदस्यों के सहमति की दशा में ही किया जा सकेगा।

8. यह कि ट्रस्ट का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च होगी तथा ट्रस्ट द्वारा सभी प्रकार का लेखा पुस्तकें कैश बुक, लेजर आदि अपने रजिस्टर्ड आफिस में रखी जायेगी तथा ट्रस्ट के ट्रस्टी को मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से समय–समय पर इनको जॉच कराने का अधिकार होगा। ट्रस्ट की बैलेंस सीट आय–व्यय खाता एकाउन्टेण्ट या आडिटर की मदद से वित्तीय वर्ष के अन्त में तैयार किया जायेगा तथा ट्रस्ट द्वारा

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 2272

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2016

... का ... का प्रयोजन

... का पूरा पता 91.02 2270

10

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 241222



नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेण्ट द्वारा आडिट कराया जायेगा। अक्त सभी दस्तावेजों पर मुख्य ट्रस्टी / सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) के हस्ताक्षर जरुरी होंगे।

8. न्यास / ट्रस्ट की बैठक–

1. यह कि सभी ट्रस्टी कार्यों के संचालन हेतु एक वार्षिक बैठक होगी। उक्त बैठक की सूचना सभी ट्रस्टियों को एक सप्ताह पूर्व सेटलर ट्रस्टी द्वारा देना आवश्यक है। ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार आपात बैठक हेतु सभी ट्रस्टियों को सेटलर ट्रस्टी द्वारा 24 घण्टे पूर्व सूचना दी जायेगी। बैठक की कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी / सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) द्वारा संचालित की जायेगी और लिखी जायेगी। बैठक के कोरम के लिए कम से कम 2/3 ट्रस्टियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

2. उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया–कलापों, एवं आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। मुख्य ट्रस्टी / सेटलर ट्रस्टी द्वारा कोई अन्य प्रस्ताव आने पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

3. न्यास / ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक वर्श में कम से कम 2 बार होगी तथा आवष्यकतानुसार कम व ज्यादा हो सकती है।

अतः यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 19.02.2016 ई0 को स्थान– उपनिबन्धक कार्यालय, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में मुख्य ट्रस्टी ने अपने खुशी

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 2273

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-2-2018

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

[illegible] 2270

10

[illegible]

[illegible] पूरा [illegible]

अधिकृत [illegible]

[illegible] (सोनपुर)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 241223



व रजामन्दी से शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ मानसिक दशा में प्रशन्नचित हो कर निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया कि सनद/प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

'इति'

मसविदाकर्ता : विवेक कुमार सिंह एडवोकेट, केराकत, जौनपुर।

**हस्ताक्षर साक्षीण**

9838323865

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह S/o स्व० हवलदार सिंह ग्राम- विशुनपुर लेवरूला ब्लाक- केराकत जिला जौनपुर

2. विवेक कुमार सिंह एडवोकेट केराकत 9415652559

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

शैलेन्द्र कुमार सिंह

क्रमांक 2274

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-7-2016

[illegible] का प्रयोजन

[illegible] पता [illegible] 10 2270

10

[illegible] हस्ताक्षर [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

शिलेन्द्र कुमार सिंह
Shilendra Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 28/09/1954
पुरुष / MALE

2418 4066 7216

मेरा आधार, मेरी पहचान

पता:
आत्मज: राजदेव सिंह, ग्राम- बिशुनपुर लेवरुवा पोसट- लेवरुवा, लेब्रुआ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222148

Address:
S/O: Rajdev Singh, vill-bishunpur leoruwa post-leoruwa, Lebrua, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222148

2418 4066 7216

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

शैलेन्द्र कुमार सिंह

भारत सरकार
Government of India

विरेन्द्र कुमार सिंह
Virendra Kumar Singh
जन्म तिथि / DOB : 01/04/1956
पुरुष / Male

4388 4708 8133

आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
आत्मजः हवलदार सिंह, बजरंगनगर, बिशुन पुर लेब्रुआ, जौनपुर, लेओरुआ, उत्तर प्रदेश, 222148

Address:
S/O: Hawaldar Singh, bajarangnagar, Bishun Pur Lebrua, Jaunpur, Leorua, Uttar Pradesh, 222148

4388 4708 8133

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

सत्यमेव जयते

आज दिनांक **23/02/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **18**

पृष्ठ सं. **173** से **212** पर कमांक **6**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी

उपनिबन्धक केराकत

जौनपुर

23/2/2016

शैलेन्द्र कुमार सिंह

UNION OF INDIA **Driving Licence** (UP) (NT)

UP62 19990001611

जारी करने की तिथि / Date of Issue: 12/10/1999

वैधता / Validity: (NT) 11/10/2019

जन्म तिथि / Date of Birth: 13/07/1977

Blood Group: UNKNOWN

नाम / Name: **VIVEK KUMAR SINGH**

पुत्र/पुत्री/पत्नी का नाम / Son/Daughter/Wife of: RAJENDRABAHADUR SINGH

DUPLICATE

UP62 19990001611 UP0017… RS

LMV 12/10/1999

MCWG 12/10/1999

(UP)

Form 7 Rule 16(2)

पता / Address

…ARAJIBIRU

KERAKAT

JAUNPUR UP

Holder's Signature

… / Issuing Authority Sign

JAUNPUR